(16)

संख्या सा-3-657/दस-900-78

प्रेषक,

श्री विभुवन प्रसाद,
आयुक्त एवं वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(तथा)

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रभुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक: लखनऊ 10 मई, 1978।

विषय—नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन की दरों एवं शर्तों का उदारीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासकीय आदेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं दरों से लागू की गई थी तथा शासनादेश संख्या सामान्य-3-1426/दस-917-64, दिनांक 13 जून, 1973 के पैरा-1 में प्रसारित आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने पारिवारिक पेंशन योजना को उदार बनाने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित आदेश प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है:—

(क) शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा-4 के अनुसार संबंधित कर्मचारी को प्राप्त होने वाली डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की धनराशि से सेवाकालीन अंतिम दो माह के वेतन तथा परिलब्धियों के बराबर, जैसी भी स्थिति हो, की धनराशि जिसकी अधिकतम सीमा 3,600 रु0 थी, की कटौती पारिवारिक पेंशन के निमित्त कर ली जाती थी। उपरोक्त प्राविधान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या सा-3-896/दस-52(1)-74, दिनांक 2 जून, 1975 के पैरा-1(4) के अनुसार इस सीमा तक संशोधित कर दिया गया था कि अभ्यर्पणीय वेतन की अधिकतम सीमा 3,600 रु0 के स्थान पर 5,000 रु0 कर दी गई थी। मृतक कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन शासन पर एक सामाजिक सुरक्षा का दायित्व है। अतः इस दायित्व का निर्वहन करने के लिये कर्मचारी से कोई अंशदान के रूप में धनराशि प्राप्त करने का प्राविधान समाप्त कर दिया जाये। तदनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1978 से डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की कुल धनराशि में से पारिवारिक पेंशन हेतु की जाने वाली कटौती का उक्त प्रतिबन्ध समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 की अपराह्न में सेवा से निवृत्त हुए हो अर्थात् जिनके लिये दिनांक 1 जनवरी, 1978 प्रथम कार्य-विलंग दिवस (First non-working day) था। अतएव उपरिलिखित दिनांक 24 अगस्त, 1966 के शासनादेश के पैरा-4 तथा शासनादेश दिनांक 2 जून, 1975 के पैरा-1(4) इस सीमा तक संशोधित किये जाते है। इस संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे—

(ख) (i) उपरोक्त शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 1966 के पैरा-1 में उल्लिखित पारिवारिक पेंशन की दरों को नीचे लिखी दरों के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से संशोधित किया जाता है:—

राज्य कर्मचारी का वेतन	पारिवारिक पेंशन की धनराशि
(1) 400 रु0 से कम	वेतन का 30 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि रु0 60 प्रति माह तथा अधिकतम धनराशि रु0 100 प्रति माह होगी।
(2) 400 रु0 और उससे अधिक किन्तु 1,200 रु0 से कम. .	वेतन का 15 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 100 रु0 प्रति माह और अधिकतम धनराशि 160 रु0 प्रति माह होगी।
(3) 1,200 रु0 और उससे अधिक	वेतन का 12 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम धनराशि 160 रु0 प्रति माह और अधिकतम धनराशि 250 रु0 प्रति माह होगी।

(ii) शासनादेश संख्या सामान्य-3-1426/दस--917-64, दिनांक 13 जून, 1973 के पैरा-1 में यह आदेश प्रचारित किये गये थे कि दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 से शासित ऐसे मामलों में जिनमें मृत कर्मचारी ने मृत्यु से पूर्व कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान, की हो, मृत्यु की तिथि के बाद तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में अतिवयता आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेन्शन की धनराशि मूल वेतन का आधा या उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगना जो भी कम हो, के बराबर होगी । उक्त आदेशों के अनुक्रम में पारिवारिक पेंशन की धनराशि का विनियमन दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से निम्न प्रकार किया जायेगा—

(क) सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल सेवा प्रदान की है तो मृत्यु की तिथि के बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले समाप्त हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उक्त योजना के अधीन अन्यथा देय धनराशि का दुगना, जो भी कम हो, के बराबर होगी ।

(ख) सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि तक, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गई सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी । अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन मामलों में उप पैराग्राफ (ख) (i) के अन्तर्गत देय पारिवारिक पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति पर स्वीकृत की गई सेवा पेंशन से अधिक हो तो उन मामलों में इस उपखंड के अन्तर्गत स्वीकार की जाने वाली पारिवारिक पेंशन की धनराशि उस धनराशि से कम नहीं होगी । सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार की गई सेवा पेंशन से तात्पर्य उस पेंशन से है जो पेंशनर को मूलतः स्वीकृत हुई अर्थात् पेंशन की वह धनराशि जो राशिकरण से पूर्व, यदि कोई हो, स्वीकृत की गई थी ।

2—मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पारिवारिक पेंशन की पुनरीक्षित दरें दिनांक 1 अप्रैल 1978 को अथवा इस तिथि के उपरान्त मृतक सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों के परिवार को ही देय होगी और वर्तमान पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

भवदीय,
त्रिभुवन प्रसाद,
आयुक्त एवं वित्त सचिव ।

संख्या सा-3- 57(1)दस—900-78, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिव शंकरलाल भटनागर,
अनु सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 41 सा० (वित्त)-12-5-78-(538)-1978-10,000 (हि०)